प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक-27.11.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास एवं 7,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना चौबिया, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास एवं 7,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 04.01.2004 को वादी वीरेन्द्र कुमार निवासी मानी कोठी थाना चौबिया जनपद इटावा ने थाना चौबिया पर अभियुक्तो द्वारा वादी की पुत्री को दहेज ना देने पर प्रताडित करने तथा अतिरिक्त दहेज की मांग करने के संबंध मे तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना चौबिया पर **मु0अ0सं0 01/2004 धारा 498 A/323 भादवि व धारा 3/4 डीपीएक्ट बढोत्तरी धारा 304 B भादवि** पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्त को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना चौबिया पुलिस टीम पैरोकार का0 दानवीर एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री अजीत तोमर द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। **जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र कमलकान्त को आज दिनांक 27.11.2024 को मा0 न्यायालय ADJ/FTC – I इटावा द्वारा 10 वर्ष का कारावास एवं 7,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. दिलीप कुमार पुत्र कमलकान्त निवासी कर्री थाना चौबिया जनपद इटावा।